

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 59 /2019

दिनांक : 29.06.2019

श्रीमती रेखा राठौड़ (RJ0311), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता को दिनांक 01.07.2019 से 31.07.2019 तक 31 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्री किशनलाल चौधरी (RJ0437), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को श्रीमती रेखा राठौड़ के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) श्री किशनलाल चौधरी (RJ0437), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

१५.६.१९  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/१५/२०००/५९०३

दिनांक : 29.06.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता को उनके पत्रांक 19 दिनांक 27.06.2019 के सन्दर्भ में।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।
4. श्रीमती रेखा राठौड़ (RJ0311), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता।
5. श्री किशनलाल चौधरी (RJ0437), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

१५.६.२०१९  
सहायक रजिस्ट्रार